2008, 1 एस.सी.आर. 813

क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तरांचल आर.डी. टीपीटी कॉर्प.

बनाम

थान सिंह व अन्य

(सी.ए. सं. 471/2008)

17 जनवरी, 2008

(डॉ अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे.जे.)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947- बस कंडक्टर किराया वसूलने के बावजूद बिना टिकट जारी किए यात्रियों को ले जा रहा है - चेकिंग स्टाफ को यात्रियों को टिकट जारी करने और रास्ते में बिल में प्रविष्टियाँ करने का निर्देश देना- उसके बाद जारी किए गए टिकट- सेवा समाप्ति-उच्च न्यायालय द्वारा बहाली-माना गया, सही नहीं है-चेकिंग स्टाफ के निर्देशों के आधार पर टिकट जारी करने से कर्मचारी द्वारा की गई अवैधता को वैध नहीं ठहराया जा सकता- इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया गया-मामला वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया गया।

परिवहन निरीक्षक ने चेकिंग अभियान चलाया और पाया कि प्रतिवादी सं. 1- बस कंडक्टर ने बस में यात्रा कर रहे 20 यात्रियों से किराया तो वसूल लिया, लेकिन 23 यात्रियों के लिए न तो टिकट जारी किया और न ही रास्ते में एंट्री का बिल बनाया। चेकिंग स्टाफ ने प्रतिवादी संख्या को निर्देशित किया। उन यात्रियों को टिकट जारी करने और उसके जारी होने पर, वे बिल में प्रविष्टियाँ करने के लिए। इसके बाद विभागीय जांच में प्रतिवादी क्रमांक 1 की सेवा समाप्त कर दी गई। ट्रिब्यूनल ने समाप्ति आदेश को बरकरार रखा। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि यात्रियों को टिकट जारी किए गए थे, लेकिन बिल में केवल प्रविष्टियाँ नहीं की गईं, पुनः बहाल करने का निर्देश दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया।

अभिनिर्धारित: प्रतिवादी नंबर 1 कर्मचारी ने स्वयं स्वीकार किया कि यद्यपि उसने किराया एकत्र किया था, लेकिन उसने 20 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किए थे और केवल तीन यात्रियों को टिकट जारी किए थे। भ्रम की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इस आधार पर आगे बढ़ा कि टिकट जारी होने के बाद केवल रास्ते के बिल में प्रविष्टियाँ दर्ज की जानी थीं। ऐसा नहीं था, चेकिंग स्टाफ के निर्देशों के

आधार पर टिकट जारी करना प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई अवैधता को वैध नहीं बना सकता है। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और निकाले गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत थे। इस प्रकार, विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है। (पैरा 7), (816- बी, सी, डी, ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 471/2008

रिट याचिका संख्या 690/2005 डी (एम/एस) में उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के दिनांक 5.10.2005 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से संगीता कुमारी।

उत्तरदाताओं की ओर से बृज भूषण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ अरजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती उत्तरांचल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 (इसके बाद 'कर्मचारी के रूप में संदर्भित)

द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देते हुए दिए गए फैसले को दी गई है। उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती 1995 के न्यायनिर्णयन मामले संख्या 21 में पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय हलद्वानी (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 27.7.2004 के फैसले को दी गई थी।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैंरू

प्रतिवादी नंबर 1 को अपीलकर्ता-निगम के तहत 21.11.1989 को कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे इसके बाद 'निगम' के रूप में जाना जाएगा)। 8/9.9.1990 को अपीलार्थी बस क्रमांक यूपी 78-9254 में कंडक्टर था। परिवहन निरीक्षक ने चेकिंग अभियान के तहत बस को रोका। बस में 48 यात्री यात्रा कर रहे थे और उनमें से 20 के पास कोई टिकट नहीं था और 23 यात्रियों के लिए वे बिल में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। कर्मचारी ने बयान दिया कि वह टिकट जारी नहीं कर सकता, हालांकि उसने 20 लोगों से किराया ले लिया है। कंडक्टर को उन यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए कहा गया था जिन्हें टिकट जारी नहीं किए गए थे। निरीक्षक ने टिकट जारी करने के समापन के लिए एक प्रविष्टि की और उन्होंने कर्मचारी को रास्ते के बिल में 23 यात्रियों के संबंध में एक प्रविष्टि करने का भी निर्देश दिया। विभागीय जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई और उसकी

सेवाएं समाप्त कर दी गईं। प्रतिवादी की प्रार्थना पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत एक संदर्भ दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने माना कि बर्खास्तगी का आदेश कानूनी और उचित था और संबंधित कामगार किसी भी राहत का हकदार नहीं था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में कहा कि कंडक्टर ने बाद में टिकट जारी किए थे, हालांकि वे बिल में कोई प्रविष्टियां नहीं थीं।

4. प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने पाया कि संबंधित कर्मचारी ने चेकिंग स्टाफ की उपस्थिति में 20 यात्रियों से किराया लिया था। यह भी पाया गया कि जब बस की जांच की गई, तो यात्रियों को टिकट जारी किए गए थे, लेकिन वेस बिल में केवल प्रविष्टियां नहीं की गई थीं। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा इससे पहले दिए गए आक्षेपित पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था और प्रतिवादी नंबर 1-कर्मचारी को सभी पुनः परीक्षण लाभों की निरंतरता के साथ लेकिन बिना किसी बकाया वेतन के सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता-निगम के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड के विपरीत हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था, यह तथ्य नहीं है कि टिकट जारी किये गये थे। दरअसल, चेकिंग स्टाफ द्वारा पता लगाने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा यात्रियों की यात्रा को नियमित करने के लिए

टिकट जारी करने और वे बिल में प्रविष्टियां करने का निर्देश दिया गया था।

6. जांच अधिकारी की रिपोर्ट के संदर्भ में प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों को सही ढंग से दर्ज किया है।

7. प्रतिवादी नंबर 1-कर्मचारी के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्वयं स्वीकार किया कि यद्यपि उसने किराया एकत्र किया था, लेकिन उसने 20 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किए थे और केवल तीन यात्रियों को टिकट जारी किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इस आधार पर आगे बढ़ा कि टिकट जारी होने के बाद केवल रास्ते के बिल में प्रविष्टियाँ दर्ज की जानी थीं। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं स्वीकार किया था कि 20 यात्रियों को टिकट जारी नहीं किए गए थे। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि चेकिंग स्टाफ ने प्रविष्टियों को नियमित करने और यात्रियों की यात्रा को नियमित करने की दृष्टि से उन 20 यात्रियों को टिकट जारी करने का निर्देश दिया था, जिन्हें प्रतिवादी नंबर 1 ने टिकट जारी नहीं किए थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से नोट किया था कि चेकिंग स्टाफ द्वारा 20 यात्रियों को टिकट जारी किए गए थे और प्रतिवादी नंबर 1 को वे बिल में प्रविष्टियां

करने का निर्देश दिया गया था। चेकिंग स्टाफ के निर्देशों के आधार पर टिकट जारी करना प्रतिवादी नंबर 1-कर्मचारी द्वारा की गई अवैधता को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था और निकाले गए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद तत्वों के विपरीत हैं। चूंकि उच्च न्यायालय ने तत्वों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है, इसलिए विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और मामले को कानून के अनुसार नए विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है।

8. हर्जा खर्चा के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

एन. जे.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आशीष जयपाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।